—

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0)मु- /17-18/ 1718037 / 1577 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: सितम्बर 13 , 2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
<u>उत्तर प्रदेश ।</u>

कृपया शासन के पत्र संख्या-1168/ 11-2-2017-9(63)/17 दि0 31-08-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार के करापवंचन रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि प्रदेश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार से करापवंचन न होने पाये इसके लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अपने-अपने जोन के बार्डर पर सचलदल को प्रभावकारी किया जाय। वाहनों की ट्रेकिंग / मोबाइल ट्रेकिंग / आर. एफ. आई. डी./ हैण्डहेल्ड डिवाइसेस के जरिये प्रवर्तन कार्य सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रिम कार्यवाही मुख्यालय द्वारा अतिशीघ्र की जा रही है। बार्डर एरिया में गोदामों की जॉच मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1442 दि0 30-08-2017 तथा परिपत्र संख्या- 1450 दि0 31-08-2017 का अनुपालन कराते हुए प्रारम्भ की जाय तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 1166/11–2–2017–9(63)/17

प्रेषक,

पंकज कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–2 लखनऊः दिनॉक 31 अगस्त, 2017

विषयः– प्रदेश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार के करापवंचन रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की सीमा/बार्डर पर करापवचंन होने एवं भ्रष्टाचार की शिकायत शासन के संज्ञान मे आयी है। प्रदेश के राजस्व में वृद्वि की दृष्टि से प्रदेश के बार्डर पर किसी भी प्रकार का करापवंचन रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार से करापवंचन न होने पाये, इसके लिये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव

एडी० कमि०
कृपया शीघ्र Mobile squads को effective कराया जाय। Vehicle tracking / Mobile tracking / RFID / handheld devices के जरिये enforcement सुदृढ़ किया जाय।
– SIBs भी गोदामों की जाँच
– Border areas में ...

कमिश्नर
05.09.2017

2554
6.9.17

SC/SIB तत्काल कार्यवाही

2609
6/9/17

AP.GO 2017amar